सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
& ENTREPRENEURSHIP

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा अर्हता को अपनाने के लिए दिशानिर्देश

दिनांक:22 फरवरी 2022

विषय सूची

1. परिचय .....
2. दिशानिर्देशों का अवलोकन .....
3. अंगीकरण (अपनाने) को परिभाषित करना .....
4. प्रयोजन तथा उद्देश्य .....
5. परिधि .....
6. परिचालन तंत्र .....
7. एनसीवीईटी द्वारा निगरानी .....

एनसीवीईटी प्रमाणन के लिए कई पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा अर्हता को अंगीकृत करने (अपनाने) के लिए दिशानिर्देश

1. परिचय

क) अंगीकरण, एनसीवीईटी प्रमाणीकरण के लिए कोई अर्हता प्रदान करने के अधिकार प्राप्त करने के लिए संरचित और सुपरिभाषित प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक औपचारिक प्रक्रिया है। दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अर्हताओं को अंगीकार करना एक पुरस्कार प्रदाता निकाय (अंगीकार करने वाले निकाय) द्वारा, इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर अर्हता के बुनियादी तत्वों जैसे पात्रता मानदंड, स्तर, अनिवार्य एनओएस/अधिगमके परिणाम, उपकरण, मान्यता और मूल्यांकन मानदंडों से कुछ भी बदले बिना, किसी अन्य पुरस्कार प्रदाता निकाय (डेवलपर निकाय) द्वारा विकसित अर्हता (एनएसक्यूएफ संरेखित और एनएसक्यूसी में अनुमोदित तथा एनक्यूआर पर अपलोड की गई) के अधिकारों को प्राप्त करने को संदर्भित करता है। किसी भी अर्हता को एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित किए जाने और राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड कर दिये जाने के बाद, उसे सार्वजनिक डोमेन में माना जाता है।

ख) एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हता के अंगीकरण पर दिशानिर्देशों को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य अर्हता के दोहराव को रोकना, एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पुरस्कार प्रदाता निकायों को विकल्प/चयन और अर्हता के रूप में पहले से विकसित प्रशिक्षण मानकों तक पहुंच में सक्षम करना, प्रतिस्पर्धा की भावना लाना, तथा इस प्रकार प्रशिक्षुओं को किसी विशेष नौकरी की भूमिका पर प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का चयन करते समय एक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देना और इस प्रकार मूल्यांकन और प्रमाणन में एकरूपता/गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना है।

ग) अंगीकृत करने वाला निकाय: अंगीकृत करनेवाला निकाय एक एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त पुरस्कार प्रदाता निकाय है, जो किसी अन्य पुरस्कार प्रदाता निकाय द्वारा विकसित, एनएसक्यूएफ संरेखित और राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी), एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित किसी अर्हता को अपनाता है।

घ) विकासकर्ता विकासकर्ता **निकाय :विकासकर्ता** निकाय, एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त, ऐसा पुरस्कार प्रदाता निकाय है जिसने एनएसक्यूएफ संरेखण और एनसीवीईटी के अनुमोदन के लिए अंगीकृत की जा रही अर्हता को मूल रूप से विकसित और प्रस्तुत किया था।

ङ) अन्य सभी शब्द और परिभाषाएँ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संख्या एसडी-17/113/2017-ई एंड पीडब्लू दिनांक 05 दिसंबर 2018 के द्वारा उन्हें प्रदत्त और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) अधिसूचना में परिभाषित तथा एनसीवीईटी गजट अधिसूचना के अनुच्छेद 16 (1) (छ) के अंतर्गत एनसीवीईटी द्वारा प्रकाशित 'पुरस्कार प्रदाता निकायों की मान्यता और विनियमन' और 'मूल्यांकन एजेंसियों' और परिचालन नियमावली के लिए दिशानिर्देश में दिए गए अर्थ का वहन करेंगे।

विकासकर्ता 2. दिशानिर्देशों का अवलोकन

इन दिशानिर्देशों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलेपन को बढ़ावा देने और अर्हताओं की उपयोगिता और पुरस्कार प्रदाता निकायों की अपनाई गई अर्हताओं को संभालने की आंतरिक क्षमता के आधार पर, मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकायों द्वारा पहले से विकसित, एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं का साझाकरण और उपयोग तथा उन्हें अंगीकृत करने की सुविधा के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लक्ष्य से संरचित किया गया

है। इन दिशा-निर्देशों को एनसीवीईटी द्वारा अक्टूबर 2011 में प्रायोगिक आधार पर अर्हताओं को अपनाने के पहले के दिशा-निर्देशों से मिली सीख के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है।

3. अंगीकरण (अपनाने) को परिभाषित करना

एक एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता को अपनाने का अर्थ है, किसी अन्य पुरस्कार प्रदाता निकाय द्वारा विकसित और पहले से एनएसक्यूएफ संरेखित और एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित अर्हता के संबंध में पुरस्कार प्रदान करने के अधिकार प्राप्त करना। ऐसे अधिकारों का अधिग्रहण इन दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध और एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित कुछ बुनियादी मानकों/शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अर्हता को अपनाने से उसके स्वामित्व का अधिकार विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय से अंगीका करनेवाले निकाय को हस्तांतरित नहीं होता है। यह केवल एक साझा तंत्र के रूप में कार्य करता है जहां विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय के अलावा अपनानेवाले निकाय को भी पुरस्कार प्रदान करने का अधिकार देने में सक्षम किया जाता है।

हालांकि, इसके समय पर संशोधन (परिवर्तन के साथ या बिना), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) और इसकी अंतिम वापसी के संदर्भ में अर्हता की प्राथमिक जिम्मेदारी डेवलपर अर्थात् उसे विकसित करनेवाले निकाय के पास ही रहती है।

4. प्रयोजन और उद्देश्य

विगत कई वर्षों में विभिन्न पुरस्कार प्रदाता निकायों में अनेक अर्हताएं एनएसक्यूएफ से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर अपलोड किया गया है। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अर्हताओं को अपनाने में सक्षमता और सुविधा को आवश्यक माना जाता है:

(क) अर्हता का दोहराव: वर्तमान समय में, एनक्यूआर पर विभिन्न पुरस्कार प्रदात निकायों द्वारा संरेखित और अनुमोदित समान अर्हताएं मौजूद हैं। ऐसी अर्हताओं में उनके नामकरण, एनओएस, सामग्री और अन्य घटकों के संदर्भ में दोहराव हो सकता है, जो अर्हता, मानकों की बहुलता की ओर जाता है और समान/समरूप व्यवसायों/नौकरी की भूमिकाओं के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में अस्पष्टता उत्पन्न करता है।

(ख) मूल्यांकन और प्रमाणन में एकरूपता और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करते हुए मानकीकृत अर्हताओं तक पहुंच: प्रशिक्षण, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री आदि के संदर्भ में विभिन्न पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा वही/बहुत समान नौकरी की भूमिका के लिए कई मानक भी एकरूपता और मानकों को प्रभावित करने वाले गुणवत्ता मानकों को

बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

(ग) बाजार की विश्वसनीयता (साख): अलग-अलग पुरस्कार प्रदाता संस्थाओं द्वारा नौकरी की एकल भूमिका के लिए बाजार में उपलब्ध कई मानक एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता के लिए एनसीवीईटी प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं क्योंकि नियोक्ता अब नौकरी की समान भूमिकाओं के लिए कई प्रमाणपत्रों को आंकने में सक्षम नहीं हैं।

(घ) पुरस्कार देने के अधिकारों को साझा करने में प्रतिरोध: एक नई अर्हता के निर्माण में समय, विशेषज्ञता, धन के संदर्भ में गुणवत्ता वाले संसाधन और प्रयास शामिल होते हैं, अक्सर विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय अन्य निकायों को पुरस्कार देने के अधिकारों को साझा करने का विरोध करते हैं, भले ही यह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो।

(ङ) सरकार/अन्य पुरस्कार प्रदाता निकायों को सुविधा प्रदान करना: अधिकतर सरकारें/अन्य पुरस्कार प्रदाता निकाय, विशेष रूप से राज्य स्तर पर, मुख्य रूप से अर्हता के विकास के बजाय जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो प्रशिक्षित शिक्षार्थियों को नियोजित करने वाली प्रणाली का उपयोग कर उद्योग पर्यावरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे सभी पुरस्कार प्रदाता निकायों को उपलब्ध अर्हताओं और संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

(च) संसाधनों का बेहतर उपयोग और चैनलाइजेशन: एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता को अपनाने के विकल्प के साथ, समान अर्हता विकसित करने के प्रयासों और वहां के स्रोतों को बहुत कम किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल उत्पादक और त्वरित हो जाएगी।

(छ) शिक्षार्थी के लिए अधिकतम विकल्प: दो या दो से अधिक पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा प्रदान किए जाने वाले समान अर्हता कौशल, पारिस्थितिकी तंत्र में समान अर्हता प्रदान करने वाले विभिन्न पुरस्कार प्रदाता निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण बनेंगे और इस प्रकार शिक्षार्थी को एक ही अर्हता के लिए कई में से किसी एक पुरस्कार प्रदाता निकाय को चुनने का विकल्प मिलेगा।

(ज) राज्यों द्वारा पारंपरिक कौशल पर ध्यान देना: यह देखते हुए कि राज्यों को बड़ी संख्या में एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता के विकास पर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वे राज्यों के मूल विरासत कौशल और पारंपरिक शिल्प के लिए अर्हता के विकास की को मजबूत करने और काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

(झ) प्रोत्साहन: ये दिशानिर्देश अंगीकार करने वाले निकाय और अर्हता विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय दोनों की जरूरतों को पूरा करके अर्हता को सहज रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करेंगे।

5. क्षेत्र/ विस्तार

क) ये दिशानिर्देश सभी एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकायों को इस दस्तावेज़ में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अन्य एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकायों की एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता को अपनाने की अनुमति देते हैं।

ख) निम्नलिखित को अंगीकार करने के इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों से छूट दी गई है और वे बिना किसी शुल्क/प्रोत्साहन भुगतान के इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रदान किए गए राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर (एनक्यूआर) पर लाइव एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता को अपना सकते हैं:

i. दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के प्रशिक्षण के लिए अपनाई गई, आरंभ की गई और/या संरेखित सभी अर्हताएं ;

ii. केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रशिक्षण के लिए अपनाई गई, आरंभ की गई और/या संरेखित सभी अर्हताएं।

iii. स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) या स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन के अंतर्गत प्रस्तावित स्तर 3 तक सभी एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताएं, जो **राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों और राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित की जानी हैं**।

ग) अंगीकार करने के अधिकार सभी पुरस्कार प्रदाता निकायों को विकास और अर्हता के प्रबंधन में प्रदर्शित क्षमता/दक्षता के साथ उपलब्ध होंगे।

घ) कौशल विश्वविद्यालय, बुनियादी ढांचे, कौशल/डोमेन विशेषज्ञता, प्रशासन संरचना, कर्मचारियों की ताकत, मानव संसाधन और उच्च स्तर के एनएसक्यूएफ संरेखण तथा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को विकसित और प्रदान करने के लिए उनकी उच्च क्षमताओं और दक्षताओं के कारण एनएसक्यूएफ स्तर 5 और उससे ऊपर की न्यूनतम 10 अर्हताएं विकसित करने के बाद अन्य पुरस्कार प्रदाता निकायों से अर्हता अंगीकार करने के लिए पात्र होंगे। नए कौशल विश्वविद्यालयों को पुरस्कार प्रदाता निकायों के रूप में मान्यता की तारीख से 1 वर्ष की मोहलत दी जाएगी।

ङ) पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा अंगीका रकरने का विस्तृत दायरा इस प्रकार है: -

i. **क्षेत्रीय और प्रादेशिक**: केवल उन क्षेत्रों और प्रदेशों में अंगीकार करने की अनुमति दी जाएगी जिनके लिए एनसीवीईटी द्वारा पहले ही एक पुरस्कार प्रदाता निकाय को मान्यता दी जा चुकी है।

ii. **अर्हता**: केवल एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अल्पकालिक अर्हता, अर्थात् एक वर्ष से कम (1200 घंटे) की अवधि की अर्हता के लिए अंगीकार करने की अनुमति दी जाएगी।

च) एनसीवीईटी के अनुमोदन से अपनाई गई अर्हताओं के विवरण और संबंधित

जानकारी को विधिवत रूप से शामिल और एनक्यूआर में प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी अंगीकार करने वाले निकाय की होगी।

छ) **प्रतिनिधित्व**: एनएसक्यूसी के माध्यम से केवल अर्हता के मूल विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय से अर्हता को अपनाने की अनुमति दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंगीकार करने वाले निकाय को मूल विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय का दर्जा प्राप्त करने के मामले को छोड़कर, अंगीकार करने वाले निकाय को किसी अन्य पुरस्कार प्रदाता निकाय के पास इस अधिकार को आगे स्थानांतरित/प्रत्यायोजित/आउटसोर्स करने के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

ज) **एनओएस आधारित अंगीकरण**: एनसीवीईटी में एनओएस आधारित अनुमोदन और एनओएस डिपॉजिटरी की व्यवस्था होने के बाद, पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यवसाय मानक अन्य मान्यता प्राप्त पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपलब्ध होंगे। एनसीवीईटी एनओएस को अपनाने के लिए एक तंत्र तैयार करेगा। एनओएस को अपनाने के लिए प्रोत्साहन निर्धारित किया जाएगा।

6. परिचालन तंत्र

अर्हता का अंगीकरण केवल एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र/क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदाता निकायों के लिए उपलब्ध होगा, जिसके लिए उन्हें निम्नलिखित मानदंडों के अनुपालन के अधीन मान्यता दी गई है:

क) **जवाबदेही और गुणवत्ता बनाए रखना**: अर्हता को अंगीकार करनेवाले पुरस्कार प्रदाता निकाय को अर्हता के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसे मूल अर्हता के अंतर्गत निर्दिष्ट और आवश्यक गुणवत्ता मानकों, एनओएस/अधिगम परिणाम, पाठ्यक्रम, उपकरणों की सूची, प्रशिक्षण मानदंड, टीओटी आवश्यकताओं, प्रशिक्षण वितरण तंत्र, उपकरण इत्यादि के संदर्भ में अपनाई गई अर्हता का उचित संचालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। अंगीकार करनेवाले निकायों द्वारा मूल अर्हता में विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया सहित मूल्यांकन मानदंड का भी पालन करना आवश्यक है।

ख) क्षमता: अंगीकार करने वाले निकाय को अनुलग्नक-I के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन प्रपत्र में यथा निर्धारित प्रशिक्षण, मूल्यांकन और अर्हता के संबंधित पहलुओं के संदर्भ में अपनी क्षमता और अर्हता को अतिरिक्त रूप से स्थापित करना होगा।

ग) निरंतरता: दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अर्हताओं को अपनाना, अर्हता मानदंड, एनएसक्यूएफ स्तर, परिकल्पित घंटे, एनओएस, अधिगम के परिणाम, मान्यता और मूल्यांकन मानदंडों (अर्हता के लिए), समीक्षा तिथि,

उपकरणों और उपकरणों की सूची आदि बुनियादी ढांचे में बदलाव किए बिना अर्हता को उसकी समग्रता में स्वीकार करने का संदर्भ देता है।

घ) **अंगीकार करने के दौरान लचीलेपन की अनुमति देना:** यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि किसी अन्य पुरस्कार प्रदाता निकाय द्वारा अर्हता को अंगीकार करने के समय, विशिष्ट स्थानीय जरूरतों या संबंधित नौकरी की विशिष्ट जरूरतों को संबोधित करने में कुछ लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए, अंगीकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक 'लचीलेपन' को ध्यान में रखते हुए, नीचे सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार स्थानीय या नौकरी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ संशोधनों की अनुमति है:-

i. अर्हता के अनिवार्य घटक (एनओएस/एलओ) में कोई विलोपन/कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय अर्हता में अनिवार्य घटक (एनओएस/एलओ) को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा। यदि अर्हता में अनिवार्य एनओएस/एलओ का उल्लेख नहीं है, तो एनसीवीईटी विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय के परामर्श से अर्हता/ओं के अनिवार्य घटकों का निर्णय करेगा।

ii. अर्हता के अनिवार्य घटक में परिकल्पित घंटों में 10% तक की वृद्धि की अनुमति होगी।

iii. उपर्युक्त के अधीन अर्हता में 20% तक के समग्र संशोधन/लचीलेपन की अनुमति दी जा सकती है।

iv. अंगीकार करने वाले निकाय द्वारा अर्हता में किए गए किसी भी परिवर्तन, जिसमें परिकल्पित समय, प्रशिक्षण वितरण, मूल्यांकन मानदंड, प्रशिक्षण और मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं, को अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा और एनक्यूआर पर उचित रिकॉर्ड और अद्यतन के लिए अनुमोदन के समय उसे एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया जाएगा।

ङ) **वैधता:** अंगीकार करने की वैधता एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदन की तारीख से मूल रूप से अनुमोदित अर्हता में उल्लिखित 'नियोजित समीक्षा की तारीख' तक होगी। अंगीकार करने वाले निकाय को एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित होने पर संशोधित अर्हता में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करना होगा। विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय की मान्यता रद्द करने या अर्हता को समाप्त करने के मामले में आगे की कार्रवाई एनसीवीईटी तय करेगी।

च) **समर्पण:** अंगीकार करने वाला कोई भी निकाय अंगीकृत अर्हता/अर्हताओं के संबंध में अपने पुरस्कार प्रदान करने के अधिकार को छोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, वह उन शिक्षार्थियों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य

हितधारकों को ऐसे समर्पण के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है। इस तरह के निर्णय को एनसीवीईटी और विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय दोनों को विधिवत रूप से प्रभावी तिथि और उस अर्हता के संबंध में शिक्षार्थियों के हितों की रक्षा करने के तरीके को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। एनसीवीईटी यह सत्यापित करेगी कि उस अर्हता के संबंध में प्रशिक्षुओं के हितों की रक्षा की गई है और ऐसे शिक्षार्थियों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य हितधारकों को ऐसे समर्पण के बारे में सटीक जानकारी प्रदान की गई है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

छ) **वापसी/संशोधन/प्रतिस्थापन**: किसी पुरस्कार प्रदाता निकाय की अर्हता की वापसी/संशोधन/प्रतिस्थापन और मान्यता रद्द करने के मामले में, यदि अंगीकार करने वाला निकाय अपनाने के अधिकारों को जारी रखना चाहता है, तो वह एनसीवीईटी को औचित्य के साथ ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा। एनसीवीईटी मामले की समीक्षा करेगी और अंगीकार करने वाले निकाय को सूचित करेगी।

ज) **प्रोत्साहन**: उद्योग की मांग वाली उच्च गुणवत्ता युक्त अर्हता की संस्कृति और आवश्यक अनुसंधान और आवश्यक संसाधनों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय को निम्नलिखित तरीके से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है:

क. यदि कोई पुरस्कार प्रदाता निकाय किसी विकासकर्ता निकाय की अर्हता को अपनाना चाहता है, तो वे या तो:

i. किसी प्रोत्साहन के साथ या इसके बिना इसके लिए पारस्परिक रूप से सहमत हैं।

ii. यदि वे पारस्परिक रूप से निर्णय नहीं कर पाते हैं तो निम्नलिखित सूत्र को लागू किया जा सकता है:-

अंगीकरण का समय	**प्रत्येक अर्हता के अंगीकरण के लिए विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय को देय प्रोत्साहन (राशि रु. में)**
प्रारंभिक अंगीकरण के लिए: पहले संशोधन के बाद नई अर्हता	1,50,000 75,000
उसके बाद हर 3 वर्ष में नवीनीकरण	25,000

iii. यदि विकासकर्ता निकाय ग्रहण अधिकार प्रदान करने से इनकार करता है, तो अंगीकार करने वाला निकाय एनसीवीईटी से संपर्क कर सकता है, जो उपरोक्त अनुच्छेद-क(ii) के अनुसार प्रोत्साहन सूत्र पर मामले की अर्हता के आधार पर जनहित में ग्रहणा अधिकार प्रदान कर सकती है।

ख: प्रत्येक स्वीकृत अर्हता के लिए एनसीवीईटी को देय प्रसंस्करण शुल्क निम्नानुसार होगा:

प्रसंस्करण शुल्क रुपए में	**प्रारंभिक अंगीकरण लेने के लिए (राशि रुपये में)**	**हर 3 वर्ष में नवीनीकरण (राशि रुपए में)**
प्रति अर्हता प्रसंस्करण शुल्क	25,000	10,000

ग. इस राशि की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झ) **टीओटी/टीओए अधिकार और दायित्व** : अर्हता को ठीक से लागू करने और लंबे समय तक संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के प्रशिक्षण अधिकार और जिम्मेदारी विकसित करनेवाले विकासकर्ता निकाय के पास या दोनों निकायों के बीच परस्पर निर्णय के अनुरूप रहेगी। ऐसे निर्णय का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और एनसीवीईटी को सूचित किया जाएगा। हालांकि, यदि मूल विकासकर्ता निकाय टीओटी/टीओए गतिविधियों में देरी/अस्वीकार करता है तो अंगीकार करने वाला निकाय यदि उचित समझे तो उपयुक्त निर्देशों के लिए एनसीवीईटी से संपर्क कर सकता है। एनसीवीईटी किसी अन्य सरकारी निकाय के माध्यम से आयोजित किसी भी अर्हता के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) प्राप्त करने के अधिकार सुरक्षित रखती है।

ञ) **शिक्षण और अभिग्रहण की सामग्री/संसाधन**: अंगीकरण में उस अर्हता के लिए एनक्यूआर पर उपलब्ध सभी संसाधन अर्थात अर्हता फ़ाइल, मॉडल पाठ्यक्रम, उपकरणों और औजारों की सूची, मूल्यांकन रणनीति आदि शामिल हैं। विकासकर्ता और अंगीकार करने वाले दोनों निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षण और अभिग्रहण की सामग्री को स्वयं विकसित करें या पारस्परिक रूप से तय की गई सामग्री को साझा करने का निर्णय लें।

ट) **एनक्यूआर पर चिंतन**: अन्य पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा अपनाई गई अर्हताओं की जानकारी एनक्यूआर पर रहेगी ताकि शिक्षार्थी विभिन्न पुरस्कार प्रदाता निकायों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन करते समय एक सूचित विकल्प बना सके।

ठ) इसमें निहित कुछ भी किसी भी पुरस्कार प्रदाता निकाय को नौकरी की भूमिका में अपनी अर्हता विकसित करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए मौजूदा अर्हता में सुधार,

उस से अर्हता की पहुंच बढ़ाने जैसे आधारों पर एक पुरस्कार प्रदाता निकाय की अर्हता को एनसीवीईटी द्वारा पहले मंजूरी दी गई थी और पुरस्कार प्रदाता निकाय द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे प्रस्तावों की जांच करते समय एनएसक्यूसी उसको अनुमोदन प्रदान करने से पहले एक नई समान अर्हता के लिए प्रदान किए गए औचित्य की जांच करेगा।

ङ) विभिन्न पुरस्कृत निकायों द्वारा एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं को अंगीकार करने की सुविधा एक सुपरिभाषित, समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी। एनसीवीईटी को अपनाई जाने वाली प्रत्येक अर्हता के लिए अलग से सूचना और शुल्क अनुलग्नक-I में निर्धारित अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर 30 दिनों के भीतर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

ढ) एक प्रस्ताव में अर्हता की अधिकतम संख्या पंद्रह (15) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. एनसीवीईटी द्वारा निगरानी

एनसीवीईटी ***'एनसीवीईटी दिशानिर्देश और पुरस्कार प्रदाता निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए परिचालन नियमावली'*** में निर्धारित मानकों के अनुसार वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेगी।

टिप्पणी: ये दिशानिर्देश इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से पहले एनएसक्यूसी/एनसीवीईटी/पूर्ववर्ती एनएसडीए द्वारा जारी किए गए सभी ग्रहणादेशों/अधिसूचनाओं का स्थान लेंगे। जिन पुरस्कार प्रदाता निकायों ने इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से पहले अर्हताएं अंगीकार की थीं, उन्हें दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार फिर से आवेदन करना होगा। ये दिशानिर्देशों की प्रकृति गतिशील है, इसलिए ये कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की उभरती आवश्यकता और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन/अद्यतन के अधीन हैं। तदनुसार, एनसीवीईटी अनुपालन के लिए लागू होने पर अंगीकार करने के इन दिशानिर्देशों में संशोधन/अद्यतन/परिवर्तन कर सकती है।